निर्णय बइजलास डॉ. गौरव सैनी आई०ए०एस० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

प्रकरण सं० 38/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

1. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा बरनाला, जरिये प्राधिकृत अधिकारी

——— प्रार्थी

बनाम

1. श्री लेखराज मीणा पुत्र श्री रामप्रसाद मीणा पता बरनाला, तहसील बरनाला जिला गंगापुर सिटी (ऋणी)
2. श्री बुद्धि प्रकाश मीणा पुत्र श्री हंसराज मीणा (गारन्टर) पता सुगंधी मोहल्ला, ग्राम पढाना, जिला सवाई माधोपुर
3. श्री चेतराम मीणा पुत्र श्री तुलसी राम मीणा (गारन्टर) पता ग्राम गंभीरा, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर

.................अप्रार्थी

The Application under section 14 of the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002

—:आदेश:—

दिनांक 24.12.2024

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की और से एडवोकेट सत्येन्द्र खोरानियां, द्वारा The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत पेश कर ऋणी/सहऋणी/जमानती से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 09/11/2023 को प्रार्थी बैक से राशि 13,50,000 (तेरह लाख पचास हजार रूपये) रू0 की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थीगण ने श्री लेखराज मीणा पुत्र श्री रामप्रसाद मीणा, की कार वैन्यू 1.5 सीआरडीआई, एमटी, एसएक्स, रजि नं. आर. जे. 25 सी.बी. 3080, इंजिन नं0 डी4एफएपीएम964527, चेचिस नं. एमएएलएफडी81डीएलपीएम515424 है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि व ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थीगण/ऋणी के खाता को दिनांक 08/02/2024 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैक को दिनांक 09/04/2024 तक राशि 14,20,004 (चौदह लाख बीस हजार चार रूपये) रू0 व इसके पश्चात् के ब्याज व अन्य खर्चे ,लागत इत्यादि अप्रार्थीगण पर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थीगण के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैक द्वारा राशि व देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की गई है।

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनने का प्रावधान नही है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैक को अप्रार्थीगण द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 08/02/2024 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैक को दिनांक 09/04/2024 तक राशि 14,20,004 (चौदह लाख बीस हजार चार रूपये) रू0 व इसके पश्चात् के ब्याज एवं अन्य खर्चे लागत इत्यादि अप्रार्थीगण पर बकाया निकलता है जिसे भुगतान करने के

24/12/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैक से लिये गये ऋण का भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात् प्रार्थी बैक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने के पश्चात् भी मांग राशि का भुगतान अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा की 14 के तहत प्रार्थी बैक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि उपरांत जमानत स्वरूप बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रार्थी बैक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तिओं के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण क़ी अदायगी हेतु अप्रार्थीगण ने श्री लेखराज मीणा पुत्र श्री रामप्रसाद मीणा, की कार वैन्यू 1.5 सीआरडीआई, एमटी, एसएक्स, रजि नं. आर. जे. 25 सी.बी. 3080, इंजिन नं0 डी4एफएपीएम964527, चेचिस नं. एमएएलएफडी81डीएलपीएम515424 है, पर शांति पूर्वक भौतिक कब्जा प्रार्थी बैक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिलवाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी बैक इस बाबत् पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी से सम्पर्क कर प्रार्थी बैक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करे। तहसीलदार, बरनाला को कब्जा हस्तांतरण के दौरान की अवधि के लिए मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्समय कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैक, पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी व तहसीलदार, बरनाला को भिजवायी जावे। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत अप्रार्थी को सुनने का प्रावधान नहीं है, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को भी भिजवायी जावे जिससे वह ऋणदाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकता कर प्रकरण का निस्तारण करा सके। इसी कम में अप्रार्थीगण को इस आदेश से असंतुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायायल से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात् यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्रार्थी बैक द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/24

(डॉ.गौरव सैनी)
जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)